

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि व्यवस्थापक शरस्वती विद्या मंदिर गणपति राम नरेंद्रा  
चम्पानगर भागलपुर के द्वारा जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रोटेबुल  
अग्निशामक-यंत्रों को जाँचोपरान्त उपयुक्त एवं क्रियाशील पाया गया। इस संदर्भ में पत्र  
निर्गत तिथि 15/05/18 से 14/05/19 के लिए प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत की जाती है कि :-

व्यवस्थापक :-

- 1) प्रोटेबुल अग्निशामक-यंत्रों अपने प्रतिष्ठान में निर्देशित स्थानों पर रखेंगे तथा उनका  
संधारण IS-2190/1997, IS-15683/2012 सशोधित के अनुरूप करेंगे जिसमें उनमें  
तकनीकी खराबी न आये। संधारण की कमी के कारण यंत्रों में आनेवाली तकनीकी  
खराबी बने जिम्मेवारी व्यवस्थापक की होगी।
- 2) कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मिकों को यंत्रों के संचालन विधि से अवगत करा देंगे  
जिसमें आग के प्रथम स्टेज पर ही शमन किया जा सकें।
- 3) वर्ष में कम से कम दो बार मॉक ड्रिल करायेंगे।
- 4) नेशनल बिलडिंग कोड ऑफ इण्डिया पार्ट-4, फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रावधानों  
के अनुसार पानी का पर्याप्त भंडारण हेतु स्टैटिक टैंक एवं अन्य व्यवस्था यथाशीघ्र  
सुनिश्चित करेंगे।
- 5) वर्ष में एक बार अग्निशमन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय में कराना सुनिश्चित करेंगे।

21/2/18  
15/05/18  
अग्निशामकालय पदाधिकारी

भागलपुर।

पत्रांक :- 37 / दिनांक :- 15/05/18

कार्यालय अग्निशामकालय पदाधिकारी, भागलपुर।

प्रतिलिपि :- व्यवस्थापक शरस्वती विद्या मंदिर गणपति राम नरेंद्रा शैली  
चम्पानगर भागलपुर के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कृतार्थ।

ATTESTED



PRINCIPAL

G.R.S.S.V.M., Champanagar  
Bhagalpur, Aff. to CBSE Delhi  
Sch. No.-65053, AH.No.-330054

विश्वास भाजन

21/2/18  
15/05/18

अग्निशामकालय पदाधिकारी

भागलपुर।